DEENDAYAL PORT AUTHORITY
(AN ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 CERTIFIED PORT)
(आईएसओ 9001:2008 एवं आईएसओ 14001:2004 प्रमाणित पोर्ट)
यातायात प्रबंधक का कार्यालय, दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, पी एंड सी बिल्डिंग, नया कंडला (कच्छ) 370210
फैक्स : 02836-270475, फोन : 02836-270625

सं.यातायात/शिपिंग/587/बर्थिंगपॉलिसी/2023/531 दिनांक: 11.07.2024

परिपत्र

घाटायन नीति के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए पहले के परिपत्रों का अधिक्रमण करते हुए, निम्नलिखित व्यापक घाटायन नीति 15 जुलाई, 2024 को होने वाली घाटायन बैठक की कार्यवाही से प्रभावी होगी।

1. घाट का आबंटन

किसी विशेष दिन लंगर डाले हुए जलयानों पर 18:00 बजे के बाद ज्वार से पहले रिपोर्ट करने वाले और 11:00 बजे तक सभी तरह से तैयार जलयानों पर उस दिन की घाटायन बैठक में घाट आबंटन के लिए विचार किया जाएगा। यदि ऐसा कोई जलयान उपलब्ध घाट में घाटायन के लिए योग्य नहीं है, तो आगामी योग्य जलयानों पर जलयान के मास्टर द्वारा पुष्टि किए गए संभावित आगमन समय के आधार पर घाट आबंटन के लिए विचार किया जाएगा। यदि संबंधित जलयान एजेंट, किसी विशेष ओर (अर्थात बायाँ या दाहिना हिस्सा घाट पर लगाने) के लिए घाटायन का अनुरोध करता है, जो कि उस ज्वार में संभव नहीं है, तो वरिष्ठता के संदर्भ में अगले योग्य जहाज पर घाट के आबंटन के लिए विचार किया जाएगा।

घाट का आबंटन आम तौर पर संलग्न परिशिष्ट-01 क (सूखे कार्गो के लिए) और परिशिष्ट-01 ख (तरल कार्गो के लिए) में बताए गए 'आबंटन के क्रम' के अनुसार होगा।

संबंधित घाटायन बैठक में विचाराधीन अवधि के दौरान खाली घाटों या उपलब्ध घाटों का मूल्यांकन उक्त 'आबंटन के क्रम' के संदर्भ में किया जाएगा, अर्थात उच्च श्रेणी के जलयान को निचली श्रेणी के जलयान से पहले घाट देने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते घाट उपलब्ध हो/उपलब्ध होने की संभावना हो।

सुदीप 11/07/2024

2. जलयान की तैयारी और वरिष्ठता

1. दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण (दी.प.प्रा.) में आने वाले सभी जलयानों के एजेंटों को सागरसेतु (एनएलपी-मरीन) पोर्टल के माध्यम से वॉएज कॉल नंबर (वीसीएन) प्राप्त करना होगा। वैध वीसीएन के बिना जलयानों के आगमन पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. जहाज़ के सभी प्रकार से तैयार होने के बाद, जलयान अभिकर्ताओं को अनिवार्य रूप से सागरसेतु पोर्टल के माध्यम से BERMAN दाखिल करना होगा। सभी समूहों में किसी जहाज़ की वरिष्ठता दिन विशेष पर 11:00 बजे निर्धारित होगी।
3. टैंकर जलयानों के लिए, पत्तन को दी गई पर्याप्त रिक्त स्थान की उपलब्धता की पुष्टि को संबंधित सर्वेक्षणकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।
4. आयात माल की उतराई के पूरा होने के बाद निर्यात कार्गो की लदाई करने के लिए निर्धारित एक शुष्क मालवाहक जलयान के लिए, निर्यात के तहत घाट के आबंटन के उद्देश्य से वरिष्ठता पर उस समय से विचार किया जाएगा जब वह जलयान निर्यात कार्गो की लदाई करने के लिए सभी तरह से तैयार है, अर्थात जलयान एनओआर प्रस्तुत करता है या दस्तावेजी तौर पर तैयार हो जाता है, जो भी बाद में हो।
5. ऐसे मामलों में, जब संबंधित पोत एजेंट जलयान के घाटायन से पहले निर्यात कार्यक्रम घोषित करता है तब मूल वरिष्ठता, अर्थात जलयान की रिपोर्टिंग की तुलना में दस्तावेजी तैयारी (प्रभार के भुगतान सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) में से जो भी बाद में हो, पर तब विचार किया जा सकता है जब निर्धारित टैंकर लदाई और उतराई दोनों कार्यों के लिए तैयार हो अन्यथा, जब जलयान निर्यात कार्गो की लदाई के लिए हर तरह से तैयार है, यानि जलयान एन ओ आर प्रस्तुत करता है या दस्तावेजी रूप से तैयार हो जाता है, जो भी बाद में हो तब उसे तैयार माना जाएगा।
6. यदि जलयान के रिपोर्ट करने के बाद जहाज़ की तैयारी के बारे में सूचित किया जाता है, तो जलयान को अगले दिन 11:00 बजे से घाटायन के लिए तैयार माना जाएगा। दस्तावेजी तैयारी के समय अथवा रिपोर्टिंग समय में से जो भी बाद में हो उसे वरिष्ठता के लिए तैयारी का समय माना जाएगा। यदि दो या दो से अधिक जलयानों का रिपोर्टिंग समय मेल खाता है, तो वरिष्ठता पार्सल आकार के क्रम में दी जाएगी, यानि, अधिक लदाई/उतराई वाले जलयान को कम लदाई/उतराई वाले जहाज़ से आगे रखा जाएगा।
7. यदि कोई जलयान अभिकर्ता संभावित आगमन समय की जानबूझकर गलत घोषणा प्रस्तुत करता है, तो संबंधित जलयान की वरिष्ठता लगातार 3 दिनों के लिए अस्वीकार कर दी जाएगी। इसी प्रकार, यदि कोई जलयान घाटायन मीटिंग में अपने संचलन को अंतिम रूप देने के बाद घाटायन से इनकार कर देता है तो भी यही बात लागू होगी।
8. यदि कोई जलयान पत्तन में आने के लिए पायलट के चढ़ने के समय तैयार नहीं है, तो जलयान की वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी और जलयान को वरिष्ठता क्रम में तब

रखा जाएगा, जिस समय और तारीख से जलयान अभिकर्ता घाटायन बैठक में उसकी तैयारी की घोषणा कर दे। हालाँकि, जहाज़ के इंजन की विफलता या घाट पर खराब मौसम के कारण संचलन प्रभावित होने की स्थिति में, हार्बर मास्टर के कार्यालय द्वारा दावे की पुष्टि होने पर जहाज़ की वरिष्ठता बनाए रखी जाएगी।

9. जिन जलयानों को संभावित आगमन समय के आधार पर घाट आबंटित किया जाता है, उन्हें उस विशेष दिन के 18:00 बजे के बाद उपलब्ध पहले उच्च ज्वार से पूर्व रिपोर्ट करना होगा ताकि आबंटित घाट बेकार न रहें। हालाँकि, यह तेल घाटों पर घाटायन के लिए निर्धारित टैंकर जलयानों के लिए लागू नहीं होगा।

10. यदि उसी आयातक/निर्यातक के किसी अन्य जलयान पर उसी कार्गो के साथ घाट पर संचलन हो रहा हो, तो जलयान अपनी वरिष्ठता खोए बिना घाटायन की अपनी बारी को छोड़ने का विकल्प चुन सकता है।

11. यदि किसी जलयान को खराब उत्पादकता के कारण घाट से बाहर स्थानांतरित किया जाता है, तो जलयान की वरिष्ठता समाप्त कर दी जाएगी। ऐसे मामलों में घाट से हटने की तारीख और समय से नई वरिष्ठता ध्यान में ली जाएगी। हालाँकि, ऐसे जलयानों पर घाट से स्थानांतरित होने के 3 दिन पहले घाटायन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यदि घाट के लिए कोई दावेदार नहीं है, तो तैयारी की घोषणा करने पर जलयान को पुनः घाट देने पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि, यदि कोई टैंकर जलयान खराब उत्पादकता के कारण ओटीबी में स्थानांतरित होने पर 3 दिनों के बाद घाटायन के लिए दावा छोड़ देता है, तो पुनः घाटायन के लिए उसकी वरिष्ठता तैयारी की तारीख और समय प्रस्तुत करने के समय से मानी जाएगी।

3. तटीय जलयान

1. किसी जलयान को 'तटीय जलयान' तब माना जाएगा यदि वह मौजूदा दरमान के अनुसार 'तटीय जलयान ' की परिभाषा के अनुरूप हो।
2. तटीय जलयान प्राथमिकता के तहत घाट पर लगाए जलयानों पर प्राथमिकता घाट किराया प्रभार लागू नहीं हैं।
3. एक तटीय जलयान तटीय दरों पर बंदरगाह शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही वह प्राथमिकता पर या अन्यथा घाट पर लगाया गया हो।
4. तटीय जलयान के किसी अन्य श्रेणी में घाटायन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालाँकि, ऐसे मामलों में, जलयान को केवल घाट आबंटन के सीमित उद्देश्य के लिए तटीय जलयान नहीं माना जाएगा।

4. सामान्य निर्देश

(1) जलयानों के घाटायन से संबंधित सभी मामलों पर प्रतिदिन आयोजित होने वाली घाटायन बैठक के दौरान ही चर्चा होगी और निर्णय लिया जाएगा। इस प्रकार,

सुदीप 11/07/2024

आवेदन, संशोधन, अतिरिक्त अनुरोध प्रस्तुत करना केवल घाटायन बैठक के दौरान ही स्वीकार किया जाएगा।

(2) आम तौर पर, गहरे सागर में जलयानों से माल उतारकर लाने वाले बजरों पर बंदर क्षेत्र में ही प्रहस्तन किया जाएगा। हालांकि, सामान्य श्रेणी समूह के तहत अधिकतम एक जलयान को छोड़कर, गहरे सागर में एक ही यात्रा में कोयले और कोक के लिए 75,000 मीट्रिक टन या उससे अधिक मात्रा को संभालने वाले जलयान के मध्य धारा संचालन से जुड़े बजरों के लिए शुष्क कार्गो जेटी क्षेत्र में दो बजरा बिंदु प्रदान किए जाएंगे।

(3) यदि आबंटन क्रम में 3(ख) से 3(ज) के तहत कोई जलयान घाटायन के लिए योग्य नहीं है, तो घाट सामान्य श्रेणी के तहत वरिष्ठतम जलयान को आबंटित किया जाएगा। ऐसा आबंटन इस शर्त के अधीन होगा कि यदि आवश्यक हो तो घाट पर लगाए गए जलयान को 'पत्तन के कारणों से' उच्च श्रेणी के जलयानों को समायोजित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो माल/डुबाव/किसी अन्य प्रतिबंध के कारण घाट पर नहीं लगाए जा सके। जिस जलयान को बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है वह अपनी मूल वरिष्ठता के अनुसार पुनः घाट पर लगाया जा सकेगा।

(4) हालाँकि, यदि सामान्य श्रेणी के तहत योग्य जलयान की अनुपलब्धता के कारण, प्राथमिकता समूह के एक जलयान को सामान्य श्रेणी के तहत घाटायन के लिए माना जाता है, तो जलयान को स्थानांतरित करने के बजाय उचित प्राथमिकता समूह में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में, हालांकि प्राथमिकता घाट किराया शुल्क लागू नहीं होगा, उक्त जलयान को घाटायन की तारीख और समय से उत्पादकता मानदंडों को प्राप्त करना होगा।

(5) यदि माल/डुबाव/किसी अन्य प्रतिबंध के कारण, एक कनिष्ठ जलयान को प्रतीक्षारत वरिष्ठ जलयानों से आगे घाट दिया जाता है, तो उक्त कनिष्ठ जलयान को प्रतीक्षारत वरिष्ठ जलयानों के ऊपर, गहरे डुबाव वाले घाट का दावा नहीं करने दिया जाएगा। यदि उक्त कनिष्ठ जलयान उथले घाट पर काम करना जारी नहीं रख सकता है, तो जलयान को पत्तन कारणों के तहत लंगरगाह में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और अपनी मूल वरिष्ठता के अनुसार घाटायन के लिए अपनी बारी का इंतजार करेगा।

(6) उत्पादकता श्रेणी के अनुरूप न्यूनतम पार्सल आकार वाले जलयानों पर ही वरिष्ठता के तहत घाटायन के लिए परिशिष्ट-01क के 3(ख), 3(घ), 3(च), और 3(ज) श्रेणियों में विचार किया जाएगा। इन श्रेणियों के तहत घाट पर लगाए गए जलयानों के लिए आबंटित समय की गणना आनुपातिक आधार पर की जाएगी।

(7) यदि किसी जलयान को क्रम संख्या 3(क) से 3(ज) और 7 के तहत उच्च उत्पादकता समूहों के अंतर्गत रखा गया है, तो उसके उत्पादकता प्राप्त करने में विफल रहने पर, जलयान को संबंधित जलयान एजेंट के खर्च और जिम्मेदारी पर ओटीबी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(8) यदि कोई जलयान लगातार 2 दिनों तक उत्पादकता मानदंडों को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो जलयान को पत्तन कारणों से एजेंट की लागत और जिम्मेदारी पर बिना किसी अतिरिक्त सूचना के स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हालाँकि, यदि घाट के लिए कोई दावेदार नहीं है तो जलयान को प्रहस्तन पूरा होने तक जुर्माना शुल्क यानि 3,500 रुपये प्रति घंटे के भुगतान के अधीन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी जब तक जलयान घाट खाली नहीं कर देता। हालाँकि, यदि क्रम संख्या 3(क) के तहत जलयान घाटायन के लिए घाट के लिए कोई अन्य दावेदार नहीं मिलता है, तो दंडात्मक घाट किराया शुल्क माफ कर दिया जाएगा।

(9) कार्गो प्रहस्तन पूरा होने से पहले स्थानांतरित किए जाने वाले किसी भी जलयान को जुर्माना शुल्क के भुगतान के अधीन अगले तत्काल उपयुक्त ज्वार समय तक कार्गो संचालन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। उत्पादकता मानदंडों को प्राप्त करने में विफलता के खिलाफ जुर्माना शुल्क की दर 3,500 रुपये प्रति घंटा है, जब तक जलयान रवाना नहीं हो जाता। हालाँकि, यदि क्रम संख्या 3(क) के तहत जलयान घाटायनके लिए घाट के लिए कोई अन्य दावेदार नहीं मिलता है, तो दंडात्मक घाट किराया शुल्क माफ कर दिया जाएगा।

(10) सामान्य श्रेणी में अन्य प्रकार के कार्गो की उपलब्धता के अधीन, केवल इस श्रेणी में भरे हुए माल वाले जलयानों की घाटायन को 3 जलयानों तक सीमित किया जाएगा।

(11) आम तौर पर, शुष्क माल के मामले में एजेंटयों और स्टीवेडोर्स द्वारा प्रहस्तन के आंकड़ों के लिए की गई घोषणा को दिन-प्रतिदिन के आधार पर प्रामाणिक माना जाता है। हालाँकि, जरूरत पड़ने पर पत्तन, जलयान द्वारा विधिवत प्रमाणित अंतरिम डुबाव सर्वेक्षण रिपोर्ट पर जोर देने के लिए स्वतंत्र है।

(12) प्राथमिकता समूह के अंतर्गत घाटायन किए गए जलयानों के प्रदर्शन की दैनिक आधार पर समीक्षा की जाएगी। हालाँकि, किसी भी परिस्थिति में, जलयान के कुल टन भार के प्रहस्तन के आधार पर आबंटित समय से अधिक रुकने/काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(13) **परिशिष्ट-02क** में उल्लिखित घटनाओं/कारणों की वजह से बर्बाद हुए समय को केवल आबंटित समय की गणना के सीमित उद्देश्य के लिए परिचालन समय में शामिल नहीं किया जाएगा।

(14) यदि सामान्य समूह के तहत माल से भरा हुआ कोई जलयान मानदंडों के अनुसार कार्गो संचालन पूरा नहीं कर पाता है, तो उसके कार्गो संचालन को पूरा करने के लिए अधिकतम 48 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जो कि अतिरिक्त घंटों के लिए जुर्माना शुल्क यानी 3,500 रुपए प्रतिघंटा के भुगतान के अधीन होगा। बाद में, संबंधित जलयान एजेंट की लागत और जिम्मेदारी पर जलयान को ओटीबी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(15) यदि कोई टैंकर जलयान सभी नौबंधों के बाद से 4 घंटे के भीतर कार्गो संचालन शुरू करने में विफल रहता है, तो जलयान को संबंधित जलयान एजेंट की

सुदीप्ता 11/07/2024

लागत और जिम्मेदारी पर अगले तत्काल उपयुक्त ज्वार में ओटीबी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हालांकि, ऐसे मामले में, जलयान को दंड शुल्क यानी 3,500 रुपये प्रति घंटे के भुगतान के अधीन अंतरण तक काम जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। यदि घाट का कोई दावेदार नहीं है, तो जलयान को लागू उत्पादकता मानदंडों के अनुसार अनुमेय समय से अधिक के लिए दंड शुल्क यानी 3,500 रुपये प्रति घंटे के भुगतान के अधीन कार्गो पूरा होने तक जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।

(16) यदि टैंकर जलयान मानदंडों के अनुसार कार्गो संचालन पूरा नहीं कर पाता है तो उसे लागू उत्पादकता मानदंडों के अनुसार अनुमेय समय से अधिक समय के लिए जुर्माना शुल्क यानी 3,500 रुपए प्रतिघंटे की दर से भुगतान के अधीन अपने कार्गो संचालन को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

(17) गहरे डुबाव वाले घाट की आवश्यकता वाले सामान्य श्रेणी के जलयान को 'पत्तन कारणों' के तहत गहरे डुबाव वाले घाट में स्थानांतरित किया जाएगा। यदि गहरे डुबाव वाले घाट उपलब्ध नहीं है, तो जलयान को पत्तन कारणों पर लंगरगाह/ओटीबी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बाद में, जब गहरा डुबाव घाट उपलब्ध हो जाता है, तो उन जलयान (जलयानों) को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें गहरे डुबाव घाट की अनुपलब्धता के कारण बाहर स्थानांतरित कर दिया गया था।

(18) गहरे डुबाव घाट की आवश्यकता वाले जलयान को उपलब्धता के अनुसार ऐसे घाट पर स्थानांतरित किया जाएगा। इस तरह के स्थानांतरण के लिए, यदि आवश्यक हो, तो जिस जलयान को गहरे डुबाव की आवश्यकता नहीं है, उसे मद प्रतिबंध के अधीन उथले डुबाव घाट पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जलयान का ऐसा स्थानांतरण/बदलाव 'पत्तन कारणों' के तहत होगा। यह नौभार जेटी-01 से नौभार-10 और नौभार जेटी-13 से नौभार जेटी-16 पर लागू होगा।

(19) 24 घंटे प्राथमिकता समूह के तहत घाटायन करने वाले तरल नौभार टैंकरों और जलयानों को छोड़कर घाटों पर एक साथ उतराई और लदाई संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, ऐसी स्थिति में जब घाट खाली हों, तो यातायात प्रबंधक इसके लिए अनुमति दे सकते हैं। इसके अलावा, मूरिंग पर काम करने वाले जलयानों को उक्त परिचालन की अनुमति तब दी जाएगी जब मूरिंग की मांग उपलब्धता से कम हो।

(20) कार्गो (नौभार) घाट पर जलयानों की घाटायन के लिए पालन की जाने वाली वरिष्ठता के क्रम में निर्यात और आयात नौभार जलयानों के बीच समान संख्या में मूरिंग आबंटित किए जाएँगे। हालाँकि, जो जहाज़ विशेष रूप से लंगरगाह पर काम करना चाहते हैं, उन्हें घाट आबंटित होने तक लंगरगाह पर काम करने वाले अन्य जहाज़ों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, कार्गो संचालन के लिए जलयान को लंगरगाह पर मरम्मत आदि के लिए जलयानों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।

सुदीप्त 11/07/2021

(21) यदि अतिरिक्त घाटायन स्थान उपलब्ध है या पुनर्व्यवस्था/वारपिंग के माध्यम से बनाया जा सकता है, जिसमें आबंटन के आदेश के अनुसार किसी भी योग्य जलयान का घाटायन दिया सकता सकता है, तो पत्तन उपरोक्त स्थान पर उपयुक्त लंबाई सबसे वरिष्ठ जलयान को घाट पर लगाने पर विचार कर सकता है। हालाँकि, जब भी किसी योग्य जलयान/बजरे की घाटायन के लिए जगह की कमी होती है, तो इस प्रकार घाट पर लगाए गए जलयान को पत्तन कारणों के तहत बाहर किया जा सकता हैं। जगह की सीमा के अंतर्गत घाट किए गए जलयान को सामान्य श्रेणी के किसी भी कनिष्ठ जलयान की घाटायन से पहले सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

(22) उपरोक्त नीति के बावजूद, यातायात प्रबंधक के पास के पास आवश्यकता पड़ने पर किसी भी जलयान को एक घाट से दूसरे घाट पर स्थानांतरित करने या घाट कराने या एकाधिक स्थानांतरण से बचने के लिए या घाटायन नीति के अनुसार या किसी अन्य प्रामाणिक आवश्यकता के लिए किसी जलयान को आवश्यक/विशेष घाट पर समायोजित करने का अधिकार होगा।

संलग्न: परिशिष्ट 01 क, परिशिष्ट 02 क और ख

सुदीप 11/07/2021

वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक,
यातायात प्रबंधक (कृते)
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, कंडला पोर्ट स्टीमशिप एजेंट्स एसोसिएशन
2. अध्यक्ष, कंडला स्टीवेडोर्स एसोसिएशन लिमिटेड
3. अध्यक्ष, कंडला कस्टम हाउस एजेंट्स एसोसिएशन
4. अध्यक्ष, कंडला लिक्विड टैंक टर्मिनल एसोसिएशन
5. अध्यक्ष, कंडला पोर्ट और डॉक स्टीवेडोर्स एसोसिएशन
6. अध्यक्ष, कंडला पोर्ट कस्टम हाउस एजेंट्स एसोसिएशन
7. डेली शिपिंग टाइम्स/एक्जिम
8. अध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव/उपाध्यक्ष के निजी सचिव
9. उप संरक्षक/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/व्यापार संवर्धन एवं जनसंपर्क अधिकारी/बीडीटीएल
10. वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक/वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक/सभी सहायक यातायात प्रबंधक/एडीआर